UPGK010017342026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 816/2026

शिवलाल साहनी पुत्र स्व० बिल्लर साहनी, निवासी- गोंडसारी, थाना- बांसगांव, जिला- गोरखपुर। ....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 418/2025
अंतर्गत धारा- 109(1) B.N.S.
व धारा- 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 25.03.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 418/2025, अंतर्गत धारा- 109(1) B.N.S. व धारा- 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.2025 को रात में वादिनी और उसका पति धर्मराज अपने घर के बरामदे में सोये थे कि रात्रि में लगभग 01.05 बजे किसी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बरामदे में आकर जान से मारने की नियत से वादिनी के पति के ऊपर गोली चलायी, जिससे उसके पति के पीठ पीछे कंधे पर उक्त गोली लगी। वादिनी के परिजन उसके पति को तुरंत दवा ईलाज हेतु पी०एच०सी० उरूवा ले गये जहां से उनको सदर अस्पताल, गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज पहुंचने के बाद वहां से लखनऊ के०जी०एम०यू० रेफर कर दिया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है व कथित किस्म का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को साजिशन पुलिस द्वारा मात्र कारगुजारी दिखाने के इरादे से आधारहीन बनावटी साक्ष्यों के आधार पर इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में फर्जी आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध लिखायी गयी है। इस घटना में प्रार्थी की कोई संलिप्तता नहीं है। प्रार्थी पर पूर्व से ही फर्जी आधार पर दो घटनाओं के सम्बंध में कुल चार मुकदमें विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी लगभग 8 वर्षों

तक जेल में रहने के बाद सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट, गोरखपुर के द्वारा आदेशित किये जाने पर लीगल एड डिफेन्स काँसिल सिस्टम गोरखपुर के द्वारा की गयी पैरवी के आधार पर जमानत पर जेल से रिहा किया गया था। किन्तु जेल से रिहा होने के बाद पुलिस द्वारा प्रार्थी को गोडदहिया नाले के पास से उसके किराये के मकान से जबरदस्ती उठाकर इस घटना में अभियुक्त बना दिया गया जबकि प्रार्थी राजगीर मिस्त्री का कार्य कर किसी प्रकार से अपनी जीविका चला रहा था। इस मामले में विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर बगैर प्रार्थी का पक्ष सुने ही आधारहीन तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि इस मामले में अब आरोपपत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिये अब किसी भी गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रश्न भी इस मामले में विद्यमान नहीं है। प्रार्थी दिनांक 14.11.2025 से ही जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी घर का अकेला कामकाजी व्यक्ति है। जेल में रहने से प्रार्थी के मुकदमें की पैरवी उचित आधार पर नहीं सम्भव हो सकेगी। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादिनी मुकदमा के पति पर असलहे से फायर कर गंभीर उपहति कारित कर उसकी हत्या के प्रयत्न का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी में अंकित मजरूब के बयान के अनुसार उसके द्वारा अपने उक्त बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की नियत से गोली मारी गयी। केस डायरी में अंकित मजरूब का ईलाज करने वाले चिकित्सक के बयान के अनुसार मजरूब के बाये कन्धे के पास पीठ पर गली लगी थी, जो शरीर के अंदर चली गयी थी और उनके रीढ की हड्डी में जाकर फंस गयी थी। जिसका समर्थन केस डायरी में अंकित अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के बयान से भी होता है। केस डायरी में अंकित विवरण फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से अभिकथित घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गयी है। केस डायरी में अंकित फर्द बरामदगी के अनुसार दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय ही उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामले में अभियुक्त की संलिप्तता दर्शित होती है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध में अभियुक्त की

संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शिवलाल साहनी द्वारा मु०अ०सं०- 418/2025, अंतर्गत धारा- 109(1) B.N.S. व धारा- 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-25.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.25 16:45:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court